न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या – 77/2022–23
केश का प्रकार – सी0एन0टी0 एक्ट 46

आदेश की क्र0सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षरी	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
21·12·23	आवेदक जयमसीह तोपनो, पिता – स्व0 शंकर तोपनो, (जाति–मुण्डा) ग्राम – कामडारा,जामटोली थाना – कामडारा, जिला –गुमला (झारखण्ड) ने निम्नांकित विवरणी की भूमि विकी करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।	

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	जमीन का किस्म
कामडारा	59	410	1577	0.06 एकड़	काएमी खाते

कुल 0.06 एकड़

प्लॉट सं0 1577 की चौहदी – उतर में – निज विक्रेता, दक्षिण में –निज विक्रेता पूरब में – बुधराम मुण्डा, पश्चिम में – पक्की सड़क, कामडारा से राँची।

जमीन विक्रेता की विवरणी

जयमसीह तोपनो, पिता – स्व0 शंकर तोपनो, ग्राम – कामडारा, जामटोली थाना – कामडारा, जिला –गुमला (झारखण्ड)

जमीन क्रेता की विवरणी

ज्योति केरकेट्टा, पति– दिलीप केरकेट्टा (जाति–मुण्डा) ग्राम – कोन्सा,बड़काटोली थाना – कामडारा, जिला –गुमला (झारखण्ड)

आवेदित भूमि को आवेदक प्रस्तावित क्रेता ज्योति केरकेट्टा, पति– दिलीप केरकेट्टा (जाति–मुण्डा) ग्राम – कोन्सा,बड़काटोली थाना – कामडारा, जिला –गुमला (झारखण्ड) से राशि 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये मात्र पर बिकी करने का तय हुआ है। आवेदक को रूपये सख्त जरूरी पडा, आवेदक भूमि की बिक्री कर रहे हैं। अंचल अधिकारी, कामडारा को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम इश्तेहार निर्गत किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

अंचल अधिकारी, कामडारा के कार्यालय पत्रांक – 03 दिनांक – 19.07.2023 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजुद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार का कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास प्रर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भूमि उनकी खतियानी है एवं दखल कब्जा है। आवेदित भूमि विवाद रहित है साथ ही गैरमजरूआ आम / खास भूमि बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत मुण्डा जाति के हैं साथ ही एक ही थाने के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, कामडारा के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक, जयमसीह तोपनो, पिता– स्व0 शंकर तोपनो (जाति–मुण्डा) ग्राम–कामडारा,जामटोली थाना – कामडारा, जिला –गुमला (झारखण्ड) को उपरोक्त वर्णित राशि 2,00,000.00 (दो लाख) रूपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतत् द्वारा स्वीकृति .... प्रदान की जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावी नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित ।

21.12.23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया(गुमला)।

21.12.23

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बसिया(गुमला)।

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.02 12:15:25 +05:30
Location: 192.168.1.33

Scanned with OKEN Scanner